महत्वपूर्ण एवं खास

रेल परियोजना खरसिया से धरमजयगढ़ रेल लाईन निर्माण के लिए सुनवाई 12 सितम्बर को

न्याय साक्षी/रायगढ़। रेल परियोजना खरसिया से धरमजयगढ़ (दुर्गापुर फीडर लाइन एवं बरौद फीडर लाइन) रेल लाईन निर्माण के लिए अनुविभाग धरमजयगढ़ के ग्राम दुर्गापुर, रूपंगा, बायसी एवं बायसी कालोनी एवं अनुविभाग घरघोड़ा के ग्राम-फगुरम की नीजि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भारतीय रेल अधिनियम के अनुसार की जा रही है। इस संदर्भ में जिन कृषकों द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किया गया है अथवा आपत्ति प्रस्तुत किया जाना है इसकी सुनवाई 12 सितम्बर 2019 को पूर्वान्ह 11 बजे से न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर रायगढ़ कक्ष क्रमांक 16 में निर्धारित है। यदि किसी हितबद्ध कृषक को किसी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना हो तो वह स्वयं सुनवाई में भाग ले सकता है।

जिले में 795.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले में 27 अगस्त तक 795.6 मि.मी.औसत वर्षा दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में जिले में 12.8 मिली मीटर औसत वर्षा हुई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिले के रायगढ़ तहसील में 918 मिली मीटर, पुसौर में 963.1, खरसिया में 614.7, सारंगढ़ में 754.6, बरमकेला में 825.3, घरघोड़ा में 833.9, तमनार में 718.8, लैलूंगा में 664.3 तथा धरमजयगढ़ तहसील में 867.7 मिली मीटर वर्षा दर्ज की गई है।

रायगढ़ की बेटी श्वेता आदित्य चक्रधर समारोह में देंगी कथक नृत्य की प्रस्तुति

न्याय साक्षी/रायगढ़। कला-संगीत व संस्कृति की नगरी रायगढ़ में प्रतिष्ठित 35 वाँ चक्रधर समारोह 2 सितम्बर से 11 सितम्बर तक रामलीला मैदान में चलेगा । दस दिनों तक चलने वाले गीत-संगीत के इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों सहित देश के कई ख्यातिलब्ध कलाकार अपने गायन व वादन की प्रस्तुति देंगे। रायगढ़ में होने वाले विश्व प्रसिद्ध चक्रधर समारोह में रायगढ़ शहर की बेटी कथक नृत्यांगना श्वेता आदित्य भी 4 सितंबर बुधवार को अपनी कत्थक नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति देंगी। जिसको लेकर श्वेता के परिजन व सभी दोस्त काफी उत्साहित हैं।

शराब तस्करी में पकड़ाई बोलेरो राजसात कर होगी नीलाम

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले में उड़ीसा से शराब तस्करी कर ला रही बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया है। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रमेश कुमार अग्रवाल के अनुसार बोलेरो को राजसात करने का प्रकरण कलेक्टर कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है। घटना दिनांक 30.07.2019 को पुलिस चौकी कनकबीरा, थाना- सारंगढ़ के प्रधान आरक्षक जयराम सिदार को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम सालर बरनाहा पारा के आरोपी चंद्रमणी थुरिया अपने लाल रंग के बोलेरो सीजी-04 एचए-0537 में अवैध रूप से उड़ीसा से शराब बिक्री हेतु ला रहा है। मौके पर घेराबंदी कर रेड में बोलेरो गाडी के तलाशी में 09 कार्टून शराब बरामद हुई। इसमें 04 कार्टून में 24-24 नग किंगफिशर स्ट्रांग केन बीयर (500 मिली लीटर वाली) और 04 कार्टून में 48-48 पावा अंग्रजी शराब गोवा व्हिस्की थी। देशी शराब के 01 कार्टून में 48 पाव प्लेन और 10 पाव मसाला भी जप्त की गई। आरोपी ड्राइवर चंद्रमणी थुरिया पिता स्व. जगदीश थुरिया, उम्र- 36 वर्ष, पता- सालर बरनाहा पारा को आबकारी धारा 34(2) के तहत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर रायगढ़ जेल भेजा गया।

बोलेरो में पाई गई 96 केन किंगफिशर स्ट्रांग बीयर में ''फॉर सेल इन उड़ीसा ओनली'' लिखा था। कुल 31420/- रूपये कीमत की 93 लीटर शराब बोलेरो से तस्करी पाये जाने पर गाड़ी को राजसात करने धारा 47 के तहत् कलेक्टर कोर्ट में अलग से चालान प्रस्तुत किया गया है।

आबकारी उप निरीक्षक अनिल बंजारे ने टिमरलगा औराचक्का मार्ग पर चुना भट्ठा के पास आकस्मिक वाहन चेकिंग की, इसमें सी.डी. डिलक्स मोटर सायकल सी.जी.-13-आर- 6854 के हंडल में टंगे झोले में 11 बोतल सिम्बा बीयर बरामद की। चालक, रूपलाल पिता उदल केवट, उम्र-40 वर्ष, पता- टिमरलागा को कुल 7.15 लीटर बीयर का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर गिरफ्तार कर जेल भेजा। डिलक्स मोटर सायकल को राजसात करने का मामला आबकारी विभाग के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी न्यायालय में पेश किया।

नशे से हानियों के बारे में ए.डी.ई.ओ. रमेश कुमार अग्रवाल ने बताया कि '' नशा करने वाला व्यक्ति अपना मान सम्मान खो देता है। होंष खोकर अपने परिवार से झगड़ता रहता हैए जिससे पारिवारिक शांति भंग होती है। नशा करने वालै व्यक्ति का जीवन कभी भी खुशहाल नहीं होता है और न ही उसके पास धन होता है। नशे की लत बहुत ही बुरी है और नशीले पदार्थ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति चोरीए डकैती या अन्य अवैध कार्य भी करता है। मिलावटी शराब से व्यक्ति अपनी जान भी गँवा बैठता है। शराब हमारी फसलों के वातावरण के लिए भी अनुकुल नहीं है। देश को नशामुक्त बनाने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए और इससे होने वाली हानियों के विषय में जानकर खुद को इससे दुर रखना चाहिए। लोगों की नशे की लत छुड़वाने के लिए बहुत से नशा मुक्ति केंद्र भी खोले गए है। युवाओं में नशे का प्रचलन अधिक है और युवा ही देश का भविष्य है इसलिए युवाओं का समझना चाहिए की नशा जहर है। सिंगरेट के धुएँ में जिंदगी को नहीं उड़ाना चाहिए।

खड़ी गाड़ियों की बैटरी व साऊण्ड सिस्टम चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने पकड़ा

न्याय साक्षी/रायगढ़। कैंदीमुडा जूटमिल में रहने वाले राजेश कश्यप द्वारा पुलिस चौकी जुटमिल में अपने छोटा हाथी वाहन सीजी-13-एल-1975 से अज्ञात चोर द्वारा बैटरी चोरी कर लिये जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया । रिपोर्ट पश्चात चौकी प्रभारी जुटमिल निरीक्षक अंजना केरकेट्टा द्वारा अपने स्टाफ व मुखबिरों को माल मुल्जिम की पतासाजी के लिये सक्रिय किया गया जिससे 24 घंटे के भीतर बैटरी चोरी का आरोपी पकड़ा गया । आरोपी प्रताप सिंह पिता गणेश सिंह उम्र 24 वर्ष निवासी कैदीमुडा जुटमिल से बजरंगपारा निगम के पास खड़ी वाहन सीजी-13-एएफ-6493 से चोरी की हुई बैटरी एवं बाजपेयी टेन्ट हाउस के पीछे खड़ी टीयूव्ही कार सीजी-13-वाई 0209 से चोरी की हुई सांउण्ड सिस्टम सोनी डीएसएक्स- 110 नं.1679852 जप्त किया गया है । इस प्रकार आरोपी से 2 बैटरी कीमती 8200 एवं सांउण्ड सिस्टम 4200 रूपये जप्त कर पुलिस चौकी जुटमिल(थाना कोतवाली) के अप.क्र. 668, 669 एवं 670/19 धारा 379 भादंवि में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है ।

जर्जर सड़क मार्ग सुधार के लिए विधायक प्रकाश ने पीडब्लूडी मंत्री से की चर्चा

न्याय साक्षी/रायगढ़। बारिश व भारी वाहनों की आवाजाही के चलते जर्जर हो चुके कोड़ातराई, पुसौर-सरिया मार्ग के मरम्मत के लिए रायगढ़ के युवा विधायक प्रकाश नायक ने पीडब्लूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू से चर्चा की। विधायक की इस तत्परता को पूरे गंभीरता से लेते हुए मंत्री महोदय ने तत्काल संबंधित विभाग को सड़क मरम्मत के निर्देश दिये। इस पहल से अब इस जर्जर सड़क के मरम्मत शुरू होने के साथ लोगों को राहत मिलने लगी है। गौरतलब है कि चंद्रपुर पूल के मरम्मत होने के कारण पिछले करीब माह भर से उक्त मार्ग पर बडी व मालवाहक वाहनों की आवाजाही बंद है। ऐसे में कोड़तराई-पुसौर-सरिया मार्ग पर इन भारी वाहनों की आवाजाही जारी है। बडी वाहनों के चलने के कारण उक्त मार्ग काफी जर्जर हो गया है जिसके कारण आये दिन वाहनों के फंसने व जाम लगने की शिकायत मिल रही थी।

सारंगढ़ तहसील में शौचालय के लिये भूमिपूजन

न्याय साक्षी/सारंगढ़। सारंगढ तहसील कार्यालय मे अविभाजित मध्यप्रदेश के समय से ही एक सार्वजनिक शौचालय की माँग होती रही है लेकिन समुचित प्रयास के अभाव मे उक्तत शौचालय निर्माण अधर मे ही लटका रहा तो वही अब सारंगढ नगर पालिका के सी एम ओ संजय सिंह की रुची व पालिका के अध्यक्ष अमित अग्रवाल के द्वारा किए गए प्रयास के परिणाम स्वरुप सारंगढ तहसील कार्यालय मे24/7 , 10 सीटर शुलभ शौचालय का भूमिपूजन नगर पालिका अध्यक्ष अमित अग्रवाल एवम वार्ड पार्षद गीता महेंद्र थवाईत के

साथ ही तहसीलदार व नायब तहसीलदार के साथ ही पार्षदो व नगर पालिका के जनप्रतिनिधी कर्मचारी के साथ ही आयुष संरक्षण सोशियल के ठेकेदार की उपस्थिति मे संपन्न हुआ ।

वर्षों तक कंपनी करेगी देखरेख । आज तहसील कार्यालय मे सार्वजनिक शौचालय निर्माण के ठेकेदार के द्वारा वर्षो तक मेन्टेनस की बात अतुल कुमार सिंह प्रभारी आयुष संरक्षण सोशियल सर्विस दिल्ली के द्वारा कही ग ई भूमिपूजन में सी.एम.ओ. संजय सिंह , उपअभियंता तारकेश्वर नायक , समयपाल गोपाल यादव , तहसीलदार बंदे राम भगत , नायब तहसीलदार राठौर , पार्षद /पाषर्द प्रतिनिधि गण - सम्मेलाल कुर्रे , गणेश महाजन , राजेश जायसवाल , महेंद्र थवाईत , अजय बंजारे , राजेश यादव के साथ ही नगर पालिका के पटवारी हेमप्रकाश तिवारी डी पी साहू तहसीलदार बंदे राम भगत नायब तहसीलदार राठौर, उपस्थित रहे।

सरिया पुलिस ने ओड़िसा से मोटर सायकल पर गांजा लाते युवक को पकड़ा

न्याय साक्षी/ रायगढ़। शनिवार दिनांक 31.08.19 को थाना प्रभारी सरिया निरीक्षक आशीष वासनिक व हमराह स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर सुबह कंचनपुर उड़ीसा रोड सरिया के पास नाकेबंदी किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटर सायकल पर ओडिसा से गांजा बिक्री करने के लिये ला रहा है, करीब 10:00 बजे कंचनपुर रोड़ पर सरिया पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 11 बीए 9410 में नवधा राम पिता नारायण चन्द्रा उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम पिहरिद थाना मालखरौदा जिला जांजगीर को 10 प्लास्टिक के पैकेट में 10 किलो गांजा कीमत 60 हजार के साथ पकड़े। आरोपी के विरूद्ध थाना सरिया में अप.क्र. 119/19 धारा 20 बी एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई है।--

भूपदेवपुर पुलिस ने रियापारा कछार में मकान में गांजा होने की सूचना पर की छापेमारी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक उततम साहू एवं हमराह स्टाफ द्वारा दिनांक 30.08.19 को मुखबिर सूचना पर ग्राम कछार रियापारा के उध्दव लोहार पिता खुनु लोहार उम्र 54 वर्ष के घर पर गांजा रेड की कार्यवाही किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम रियापारा कछार का उध्दव लोहार अपने मकान में मादक पदार्थ गांजा बिक्री हेतु रखा है। रेड कार्यवाही दौरान मकान की तलाशी में 02 बोरी में 16 पैकेट मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसके अंदर पैकेट बनाकर रखे हुये गांजा का कुल वजन 15 किलो 500 ग्राम, कीमती 93,000/ रूपये को जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना भूपदेवपुर में अप.क्र. 135/19 धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय पेश किया गया है।

जुटमिल, सरिया व छाल पुलिस की अवैध शराब पर कार्यवाही

»फरसी लेकर घूम रहे व्यक्ति पर कापू पुलिस ने किया आर्म्स एक्ट

न्याय साक्षी/रायगढ़। जुटमिल पुलिस द्वारा आज दिनांक 31/08/2019 को मुखबिर से प्राप्त सूचना पर दोपहर करीब 12:00 बजे लहंगापाली चौक पर विजय किसान पिता संतोष किसान 37 वर्ष निवासी ग्राम लहंगपाली को 10-10 लीटर के चार जरकिन में भरा हुआ करीब 40 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़े। आरोपी विजय किसान द्वारा शराब अवैध बिक्री के लिये रखना बताया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली (चौकी जुटमिल) में अपराध क्रमांक 676/19 धारा 34(1क)2-59 (क) आबकारी एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

सरिया पुलिस द्वारा दिनांक 30/08/19 को ग्राम साल्हेओना में रहने वाले चमरू सहिस पिता दादुराम सहिस के घर पर अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। आरोपी के घर से प्लास्टिक बोरी के अंदर सफेद प्लास्टिक की पन्नी में भरा करीबन 25 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना सरिया में धारा 34(1क)2-59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवही की गई है।

थाना छाल पेट्रोलिंग पार्टी आज दिनांक 31.08.19 को कि ग्राम तरेकेला में ग्राम बंगरसुत का ईश्वर सिंह राठिया उम्र 40 वर्ष को पैदल थैला में लेकर अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब बिक्री करने ले जाने की सूचना पर पकड़े। आरोपी के पास से 03 सफेद प्लास्टिक की 2-2 लिटर वाली एवं 01 लिटर वाली बॉटल में भरा कुल 09 लिटर कच्ची महुआ शराब कीमत 900/- रूपये जप्त किया गया है। आरोपी के विरूद्ध थाना छाल में धारा 34(1क)2-59 (क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवही की गई है।

थाना कापू स्टाफ द्वारा ग्राम कदमढोढी के सोनसाय नगेसिया पिता सिबल साय नगेसिया 45 साल को गांव में मेन रोड पर लोहे का बडा फरसी लेकर लोगों को डराने धमकाने की सूचना पर मौके पर जाकर हिरासत में लिया गया। आरोपी के कब्जे से एक लोहे का फरसी जप्त कर आरोपी के विरूद्ध 25 आर्म्स एक्ट की कार्यवाही किया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी साकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं सैद्धान्तिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित विभिन्न कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए ....
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium)
में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी
एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की
खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लांट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480